(13)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

65AA 014411

स्टाम्प 10/- नकल नम्बर 521 सन् 2009 पर संलग्न है।

प०-सुना- स.र. II

न्यायालय तहसीलदार सदर कानपुर नगर

वाद सं0 978/08-09
महावीर स0स0आ0स0 बनाम श्रीमती सुशीला देवी

धारा-34/35 एल0आर0 एक्ट
मौजा-बैरी अकबरपुर कछार कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैनामा के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विक्रीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित किए जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इश्तहार जारी किए गए जो बाद तामीली शामिल पत्रावली है। किसी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल उद्धरण खतौनी व शपथपत्र, दाखिल किए गए। मौखिक साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल ने बयान करते हुये कथन किया है कि विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि के0डी0ए0 आदि की नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य को पढ़ा। पत्रावली पर दाखिल पंजीकृत बैनामा से आराजी निजाई का प्रार्थी के हक में विक्रय किया जाना एवं विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम बैरी अकबरपुर कछार की खाता खतौनी 1410 फ0 लगायत 1414 फ0 खाता सं0 263 आ0सं0 1044/0.328हे0 व 1090/0.051हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.379हे0 के जुज रकबा 0.095हे0 मालगुजारी 60रु0 पर विक्रेती श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री प्रेमशंकर निवासिनी म0नं0 48/39 सटी मोहाल कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दि0 07-12-01 के आधार पर क्रेता महावीर सहकारी आवास समिति लि0 कानपुर नगर द्वारा सचिव ए0के0 जैन पुत्र जे0के0 जैन निवासी 73 आर0एस0पुरम् काकादेव कानपुर नगर का नाम बतौर सहकृषक/संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात किया जावे। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक :- 18/5/08

तहसीलदार (सदर)
कानपुर नगर

सुशीला देवी

(13)

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs. 1000

एक हज़ार रुपये ONE THO

Arvind Kum[...] ADVOCATE

।। श्रीगणेशायनमः ।।

यह कि मुसम्मात सुशीला देवी बालिग पत्नी श्री शिवशंकर निवासिनी मकान नम्बर ४८/३८ लाठी मोहाल शहर व कानपुर की हूं।

विदित हो कि मेरा भूमिधरी का रकबा भूमिधरी नम्बरी १०५४ रकबा ०.३२८ हे० व १०६० रकबा ०.०४५ हे० कुल दो किता कुल रकबा ०.३७३ हे० खाता १११२ स्थित मौजा बैरी अकबरपुर बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

(२)

नगर के १/४ भाग की एकमात्र मालिक,काबिज दाखिल कारिया कॉंयगय भूमिया कारतकारी या है। मिन मुकिरा के हिस्से में अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्से-दार नहीं है और न ही भागीदार है। कब्जा भी मिन मुकिरा का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी भूराजस्व अभिलेखों में बतौर मिलकियत है। मिन मुकिरा की उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित आज दिन तक हुमला भार किफालत से बरी पाक व साफ है। कहीं रहन,बयशर्त, मुस्तगरक, जमानत आदि नहीं है तथा किसी डिगरी व सरकारी डिगरी में कुर्क अथवा बाबत

सुशीला देवी

सुशीला देवी

INDIA NON JUDICIAL

1000 रु.   Rs. 1000

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

1000Rs

(3)

नीलाम नहीं है। तथा मिन मुक्तिरा को किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा आज दिन तक उक्त जायदाद को विक्रय आदि करने से भी नहीं रोका गया है। उक्त जायदाद किसी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा अधिग्रहण के अधिकार नहीं कराया है और न ही मिन मुक्तिरा को अधिग्रहण करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुआ है तथा मिन मुक्तिरा की उक्त जायदाद बैंक लोन आदि में बन्धक नहीं है तथा कोई इस्टेट इनकम टैक्स या सेल टैक्स की नहीं है। ताकि कि जायदाद उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है तथा मिन मुक्तिरा को उक्त

सुशीला देवी

सुशीला देवी

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

1000 Rs.

(४)

जायदाद विवरण निम्नलिखित को बतौर ये बयनामा विक्रय करने का सम्पूर्ण समस्त अधिकार मालिकाना हासिल है। चूंकि मिस पुष्पिता की शादी एवं सामग्री व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपया की सख्त आवश्यकता दरपेश है। और बिना बेचे हुये जायदाद उपरोक्त विवरण हस्ब जैल मिस पुष्पिता की शादी [illegible] नहीं हो सकती है। लिहाजा मिस पुष्पिता ने उक्त जायदाद विवरण निम्नलिखित करीबना उचित समझ कर बेचने की बाबत [illegible] उक्त जायदाद को [illegible] स्वामी [illegible]

सुशीला देवी

सुशीला देवी

[signature]

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs. 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(४)

[redacted] मुताबिक ४६,२५०/- दिया जिस

हजार दो सौ पचास रुपया में मिल दुकान का १/४ भाग

विवरण निम्नलिखित को खरीद करवा दिया व. आनन्द

है, कोमल निजाम दुकानिया व वाजिब है, तथा मिल

दुकान की मौजूद मालियत है। इसकी ज्यादा कीमत में उक्त

जायदाद नहीं बिक सकती है। उपरोक्त खरीदार (प्रतिनिधि

ने उक्त कुल जायदाद का निरीक्षण करके हैं सब-

कायलात एवं जिम्मेदार वगैरह से कर लिया है। लिहाजा

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.　Rs 1000

एक हजार रुपये　ONE THOUSAND RUPEES

(६)

मकानात गैरेज बाथ व खुला सहन बहुमंजली करि.

दोमंजिली मिली जुले नीलाम के मय मुक्त एक मकान

दाखिल अधिकारी हक व फायदा जितना था है हुए

जिसे बीच के मय हुकूक मालिकाना व कब्जादारी सहित

बिल मवस मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ

पचास रुपया जिसके आधे मुबलिग २३,१२५/- तेइस-

हजार एक सौ पच्चीस रुपया जिसका हिस्सा सरकार मुनिसिपल

के होते हैं, बदस्त महावीर सहकारी आवास समिति लि०

मुख्य कार्यालय सिटी सेंटर मालरोड, नगर कानपुर बजरिये

सचिव श्री [illegible] के० [illegible] पुत्र श्री के० के० जैन निवासी,

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मकान नम्बर ७४ आर० एस० पुरम काकादेव शहर कानपुर के बय करार कर दिया यानी बैय डाला कुल कीमत मिन मुकिर ने उससे खरीदार समिति से निम्न तफसील के अनुसार नकद वसूल पा लिया है। जिसका अब कोई एक पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रह गया है। मिन मुकिर ने आज की तारीख से जायदाद मुबैया दाखा से अपना कब्जा दखल मालिकाना व काबिज कास्तकारी से हटा कर मिल अपने कब्जा दखल मालिकाना व काबिज जायदाद मुबैया दाखा खरीदार समिति का करा दिया। तथा मालिक,काबिज करा दिया, खरीदार समिति आज की तारीख से जायदाद मुबैया दाखा की एक मात्र मालिक,

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

काबिज दखील हो गयी तथा उसे कुल अधिकार मालि-
काना जायदाद मुबैया भाजा की मिल्कियत शामिल हो गये।
अब खरीदार समिति को अधिकार होगा कि वह जायदाद
मुबैया भाजा पर मालिक, काबिज दखील रह कर जिस
प्रकार से चाहे अपने उपभोग व प्रयोग में लावें। हमें
मुकिर व वारिसान मुकिर को कोई उजर व एतराज न
होगा। खरीदार समिति को अधिकार है कि वह अपना नाम
कागजात सरकारी में बजाय विक्रेता दर्ज करा लेवे, तथा
दर्ज नाम हम मुकिर खारिज करा देवे। जिसकी जिम्मेदारी
एवं अखराजात हमारा द्वारा उठाये जायेंगे। फिर भी यदि

सुशीला देवी
सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

1000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(६)

कभी अदालत पड़ी तो मुकिरा अपनी सदरोरी व बुयाने इत्मिनान देने की पाबन्द होगी। मिन मुकिरा ने जायदाद मुबैया बाजा के पूर्ण रूप से पाक व साफ होने का यकीन व इत्मिनान मन्दिर समिति को करा दिया है। फिर भी यदि मुकिरा के कैद या सर्टिफिकेट या मुबल मिल्कियत आदि की वजह से जायदाद मुबैया बाजा का कुल या कुछ भाग कब्जा दखल मन्दिर समिति के हक से निकल जावे या मन्दिर समिति को जायदाद मुबैया बाजा की निस्बत आज दिन तक की बाबत कुछ भी अदा या खर्च करना पड़े तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मुकिरा व वारिसान

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर की होगी। और न किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह अपना कुछ भी हक व दावा कब्जा के मुकिर की दी गई माल जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से किस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद माल या होवे। इसमें मुकिर व वारिसान मुकिर को कोई उजर व एतराज न होगा। लिहाजा यह दस्तावेज हाजा की पाबन्दी मुकिर व वारिसान मुकिर व कायम मुकामान वारिसान मुकिर पर लाजिम व वाजिब होगी।

सुशीला देवी

सुशीला देवी

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(११)

[illegible] अनुष्ठानों और [illegible] [illegible]

नारायण के स्वरूप मंत्र शुद्धि [illegible] [illegible] की स्वस्थ

दशा में यह यन्त्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तैयार कर

दिया ताकि समय रहे और समय पर काम आये।

विवरण जायदाद मुबैया :-

आराजियात भूमिदारी नम्बरी १०४४ एक हजार

चवालिस रकबा ०.३२८ हे० [illegible] [illegible] [illegible] दो आठ

हे० व आराजी भूमिदारी नम्बरी १०६० एक हजार साठ

रकबा ०.०४१ हे० [illegible] [illegible] [illegible] पांच एक हे० कुल

सुशीला देवी

सुशीला देवी

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs. 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(१४)

दी जिला कुल रकबा ०.३७६ हे० यानी रकबा १।।।)२

एक बीघा उन्नीस बिस्वा स्थित मौजा केरी अकबरपुर पहार(

परगना व तहसील कानपुर नगर का १/४ एक

बटा चार भाग विक्रय किया गया है। भूमि बेचने की

आज्ञा अर्थात अनापत्ति कार्यालय (सक्षम प्राधिकारी

महोदय नगर भूमि सीमा(रोपण) कानपुर से अनापत्ति

पत्र संख्या ६८०।कृषि भूमि /८५ प्राप्त कर ली है।

स्टाम्प निबंधक अधिकारी निर्देशानुसार मार्केट रेट

२,००,०००/- रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ७०,४००/-

सुशीला देवी

सुशीला देवी

(१३)

रुपया पर मुबलिग १०,२२५।- रुपया की अदा कीगयी है। अब मेरा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। भूमि यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नहीं है। जोन नम्बर २ इलाक कल्याणपुर है।

चौहद्दी-

पूरब- आराजी नम्बर १०६१

पश्चिम- आराजी नम्बर १०८६

उत्तर- दीगर आराजी,

दक्षिण- आराजी मिल्कियती भागीदार समिति

तखमीना मालियत की कुल मुबलिग ४६,२७०।- छियालिस हजार दो सौ सत्तर रुपया।

सुशीला देवी

सुशीला देवी

73

INDIA
पाँच रुपये
FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

(१४)

मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया

उक्त श्रीमान् जी रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकाबिले

तथा क्रेता खरीदार समिति से नकद पा लिया है निश्चय

अब कुछ भी देना पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

सं०हि० तारीख- २४-११-१९९५ ई० सुशीला देवी

सुशीला देवी

गवाह१- [illegible]

गवाह-२ [illegible]

टाइपकर्ता-
[illegible]
राजेश कुमार सिंह,
[illegible] नं. ८३ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME
[illegible]
[illegible] Kumar [illegible]
ADVC

क्र० सं० 1718 ... दिन रजिस्ट्री कार्यवाही स्थगित की गई।

उप निब
24/11/98

क्र० सं० 74

22.2.2000 ... दिन 22.2.2000

1 1538

10/74

292

बही नम्बर 1 जिल्द 2016 के पृष्ठ 01/05 क्र. सं. 292/2016 पर

आज दिनांक 07/12/2015 को लिपिबद्ध किया गया

ह० 8-11

उप निबन्धक(प्र-II)

दिनांक 25-3-9